इस सीजन पूरा कपास खरीदा जाएगा : सरकार

गिरिराज सिंह ने समीक्षा बैठक में दी गारंटी

एमएसपी पर खरीदी 1 अक्टूबर से शुरू

नई दिल्ली, 3 सितंबर. केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आश्वासन दिया है कि इस सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिशानिर्देशों के तहत आने वाले सभी कपास की बिना किसी बाधा के खरीद की जाएगी. उन्होंने कपास किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी और भारतीय कपास निगमके सीएमडी ललित कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे. इस बैठक का उद्देश्य आगामी खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए कपास की एमएसपी खरीद परिचालन की तैयारियों का आकलन करना था. इस वर्ष कपास की खरीद 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी.

सरकार के %डिजिटल इंडिया% विजन के अनुरूप, सीसीआई द्वारा एमएसपी खरीद से लेकर स्टॉक की बिक्री तक की सभी प्रक्रियाएं अब पूरी तरह से फेसलेस और पेपरलेस हो गई हैं. इससे एमएसपी परिचालन में किसानों और अन्य हितधारकों का विश्वास मजबूत हुआ है.

पहली बार, खरीद केंद्रों की स्थापना के लिए एक समान मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कपास की खेती का क्षेत्र, कार्यशील APMC यार्ड की उपलब्धता और कम से कम एक स्टॉक प्रोसेसिंग फैक्ट्री की उपलब्धता जैसे प्रमुख मापदंडों को ध्यान में रखा गया है. इसके परिणामस्वरूप, प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं. उत्तरी राज्यों में एमएसपी के तहत कपास की खरीद 1 अक्टूबर से, मध्य राज्यों में 15 अक्टूबर से और दक्षिणी राज्यों में 21 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी.

> इस सीजन से, कपास-किसान नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. इसके माध्यम से देश भर के कपास किसान आधार-आधारित स्व-पंजीकरण और 7-दिवसीय रोलिंग स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे. यह डिजिटल प्लेटफॉर्म खरीद परिचालन को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सीधे किसानों के बैंक खातों में आधार-लिंक्ड भुगतान को सक्षम करेगा.

भारत-जर्मनी ने बाजार सहयोग पर की चर्चा

पीयूष गोयल और जोहान वाडेफुल ने बैठक की

नई दिल्ली, 3 सितंबर. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ एक बैठक की सह-अध्यक्षता की. इस दौरान दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद थे.

अपनी भारत यात्रा पर आए जर्मन विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद, पीयूष गोयल ने एक्स पर साझा किया कि उन्होंने व्यापार सुविधा, नियामक ढांचे और बाजार पहुंच को मजबूत करने पर चर्चा की. उन्होंने कहा, हमने रक्षा, अंतरिक्ष, नवाचार और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते भी तलाशे, जो हमारी साझेदारी की विशाल क्षमता को रेखांकित करता है. यात्रा के दौरान, जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के प्रति अपने देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. भारत और यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2025 के अंत तक इस महत्वाकांक्षी एफटीए को पूरा करना है.

> वाडेफुल ने अपनी यात्रा से पहले एक्स पर कहा था कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भागीदार है. उन्होंने जर्मनी और भारत के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया और बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को अत्यधिक क्षमतावाला बताया. उन्होंने सुरक्षा सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल की भर्ती को द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख स्तंभों के रूप में भी उजागर किया.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में बदलाव प्रस्तावित

क्लिनिकल रिसर्च व टेस्ट लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान

टेस्ट लाइसेंस प्रणाली बदलेगी अधिसूचना मॉडल में

नयी दिल्ली, 03 सितंबर. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दवा और क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर के नियमों में बदलाव की योजना बनाई है.

इन संशोधनों का उद्देश्य न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स (एनडीसीटी) नियम, 2019 में सुधार करके टेस्ट लाइसेंस प्राप्त करने और बायो अवेलेबिलिटी/बायो इक्विवेलेंस (बीए/बीई) स्टडी से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाना है.

मंत्रालय ने इन प्रस्तावित बदलावों को 28 अगस्त को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया है ताकि जनता से सुझाव प्राप्त किए जा सकें. यह पहल फार्मास्युटिकल सेक्टर में चल रहे नियामक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य भारतीय दवा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और घरेलू नियमों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाना है.

प्रस्तावित संशोधनों के तहत, टेस्ट लाइसेंसों के लिए मौजूदा लाइसेंस प्रणाली को एक अधिसूचना प्रणाली में बदला जाएगा. इसका मतलब है कि आवेदकों को लाइसेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा; उन्हें केवल केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित करना होगा. इससे उच्च जोखिम वाली कुछ दवाओं को छोड़कर अन्य सभी टेस्ट लाइसेंस आवेदनों के लिए वैधानिक प्रोसेसिंग समय 90 दिनों से घटकर 45 दिन हो जाएगा.

भारत फार्मास्युटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट का वैश्विक केंद्र

इन बदलावों से क्लिनिकल रिसर्च के लिए भारत का आकर्षण बढ़ने की उम्मीद है, जिससे भारत फार्मास्युटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट का एक वैश्विक केंद्र बन सकेगा. मंत्रालय के अनुसार, इन सुधारों से लाइसेंस आवेदनों की संख्या में लगभग 50% की कमी आएगी, और ड्रग डेवलपमेंट और अप्रूवल प्रक्रियाओं में होने वाली देरी भी कम होगी.

मॉयल ने मैंगनीज उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया

बिक्री 1.13 लाख टन, पिछले वर्ष से 25.6% अधिक

अप्रैल-अगस्त 7.92 लाख टन उत्पादन, 9.3% वृद्धि

नई दिल्ली , 3 सितंबर. सरकारी स्वामित्व वाली मैंगनीज अयस्क उत्पादक कंपनी मॉयल ने अगस्त माह में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया है. इस्पात मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, कंपनी ने अगस्त में 1.45 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक है.

इस दौरान कंपनी की बिक्री भी 1.13 लाख टन तक पहुँच गई, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 25.6% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है.

यह आँकड़े बाज़ार में मैंगनीज की निरंतर और मजबूत माँग को दर्शाते हैं. मॉयल ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल से अगस्त तक भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है.

इस पाँच महीने की अवधि में कंपनी ने 7.92 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 9.3% अधिक है.

कंपनी ने संसाधन विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसका प्रमाण पाँच महीनों के दौरान की गई 50,621 मीटर की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग है. यह पिछले साल से 8.6% अधिक है.

मॉयल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अजीत कुमार सक्सेना ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद इस रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह परिणाम उत्पादन और बिक्री दोनों में कंपनी की निरंतर वृद्धि की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं.

इस मजबूत प्रदर्शन से घरेलू मैंगनीज बाजार में मॉयल की स्थिति और भी मजबूत होने की उम्मीद है.

यह भारत के इस्पात क्षेत्र को सहयोग देने में सरकारी खनिक की भूमिका को भी उजागर करता

सेवा क्षेत्र में 15 साल की सबसे तेज बढ़ोतरी

अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में दिखा व्यापक विस्तार

कंपनियों ने दी अतिरिक्त नौकरियों की सौगात

मुंबई, 03 सितंबर (वार्ता)- देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अगस्त में माह-दर-माह आधार पर जून 2010 के बाद की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की है. नए ऑर्डरों में लगातार 49वें महीने बढ़ोतरी होने से सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है. बुधवार को जारी एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई कारोबार गतिविधि सूचकांक जुलाई के 60.5 से बढ़कर अगस्त में 62.9 हो गया है. मांग में जोरदार बढ़ोतरी से सेवा क्षेत्र में नए ऑर्डर भी 15 साल में सबसे तेज गति से बढ़े. इसके अलावा, विदेशों से आने वाली मांग में भी तेजी से वृद्धि हुई है. इस वृद्धि पर एचएसबीसी इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में व्यापक विस्तार के कारण कुल मांग मजबूत बनी रही.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया।है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	40039721	संपत्ति के बदले ऋण	08.08.2025	3,43,537.19/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. शिव सिंह राजपूत 2. भरत बाई देवड़ा

संपत्ति का पताः अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिस पर मकान संख्या 08, कुल क्षेत्रफल 756 वर्ग फुट, सर्वेक्षण संख्या 951, वार्ड संख्या 03, पीएच नं. 46, ग्राम भदवासा, तहसील बड़ौद, जिला आगर, मध्य प्रदेश, और इसकी सीमाएँः पूर्वः गली, पश्चिमः हरीश सेन का घर, उत्तरः सड़क, दक्षिणः कमला बाई का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 04.09.2025
स्थानः आगर
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

केनरा बैंक भारत सरकार का उपक्रम **Canara Bank** A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

सूचना

(वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तनअधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस (सरफेसी एक्ट)

केनरा बैंक की शाखाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण जो कि एन. पी. ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणी/जमानतदार को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा ऋणी/जमानतदार व सह ऋणी आप सभी को भेजी गई थी। निम्न वर्णित मांग सूचना दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया है, कि आपके द्वारा सूचना मे दर्शाई राशि **60** दिनों के अंदर जमा नहीं कराई गई तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति जो कि निम्नलिखित ऋणी/ जमानतदार के नाम है, उसका आधिपत्य ले लिया जाएगा। बकाया राशि का उल्लेख निम्नानुसार है:

क्रं.	ऋणी/जमानतदार का नाम व पता	मांग सूचना दिनांक / बकाया राशि (₹)	अचल संपत्तियों का विवरण
	केसरबाग रोड शाखा, इन्दौर, मोबाईल: 70499 19127 एवं नवलखा शाखा, इन्दौर, मोबाईल: 89899 89141		
1.	**1. श्रीमती हेमलता शर्मा पति कमलेश शर्मा,** प्लाट नं. 18, सेक्टर-सी, सूर्यदेव नगर कॉलोनी, ग्राम तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर (म.प्र.) 452009, **2. श्री कमलेश शर्मा पिता मदनलाल शर्मा,** प्लाट नं. 18, सेक्टर-सी, सूर्यदेव नगर कॉलोनी, ग्राम तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर (म.प्र.) 452009, **2. श्री कमलेश शर्मा पिता मदनलाल शर्मा,** एस-18, सोमेश होम्स, वैभव विहार अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.) 462022, **श्री महेश कुमार व्यास पिता बाल कृष्ण व्यास,** 2, गोपुर कॉलोनी, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र.) 4520069	**मांग सूचना दिनांक 14.08.2025** **बकाया राशि (₹) 30,11,163.38 + दिनांक 13.08.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्च**	प्लाट नं. 18 पर स्थित रहवासी मकान, सेक्टर-सी, सूर्यदेव नगर कॉलोनी, ग्राम तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर (म.प्र.) 452009, **क्षेत्रफल: 600 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती हेमलता शर्मा पति कमलेश शर्मा, श्री कमलेश शर्मा पिता मदनलाल शर्मा, सीमाएं: उत्तर:** सड़क, **दक्षिण:** प्लाट नं. 132, **पूर्व:** प्लाट नं. 17, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क

(1) उक्त मांग सूचना पत्र आपको डाक प्राधिकरण द्वारा **केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय** से भेजा गया था। आप नोटिस की कॉपी बैंक से प्राप्त कर सकते है ताकि आपको सूचना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाये। (2) आप सभी को सुझाव दिया जाता है कि मांग सूचना में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित उपरोक्त मांग सूचना की दिनांक के **60 दिनों** के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत आगामी कार्यवाही से बच सकें।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 04.09.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, इन्दौर**

ग्रामीण भारत के लिए दिसंबर 2025 तक पेश होगा बीमा विस्तार

कोलकाता, 03 सितंबर. ग्रामीण भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समग्र बीमा उत्पाद 'बीमा विस्तार' दिसंबर, 2025 तक पेश किया जा सकता है. बीमा उद्योग संगठन 'लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल' ने बुधवार को यह जानकारी दी.

यह बीमा खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति का व्यापक बीमा कवर प्रदान करना है.

इस योजना को सभी बीमा कंपनियाँ एक समान प्रीमियम दर पर बेचेंगी, जिससे यह आम जनता के लिए किफायती और सुलभ बन सके.

शेयर बाजार में लौटी तेजी

सेंसेक्स 80,567 और निफ्टी 24,715 पर

जीएसटी परिषद बैठक ने बढ़ाई निवेशकों की आशा

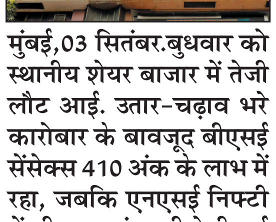

मुंबई,03 सितंबर.बुधवार को स्थानीय शेयर बाजार में तेजी लौट आई. उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बावजूद बीएसई सेंसेक्स 410 अंक के लाभ में रहा, जबकि एनएसई निफ्टी में भी 135 अंक की तेजी दर्ज की गई. इस बढ़त का मुख्य कारण धातु शेयरों में मजबूत खरीदारी और जीएसटी परिषद की बैठक से जुड़ी सकारात्मक उम्मीदें थीं.

पूरे दिन के उतार-चढ़ाव के बाद, तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 409.83 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 80,567.71 अंक पर बंद हुआ. इसी तरह, पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 135.45 अंक यानी 0.55 प्रतिशत चढ़कर 24,715.05 अंक पर बंद हुआ. जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक नयी दिल्ली में शुरू हुई है, जिसमें कर स्लैब को कम कर पाँच प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. इस उम्मीद ने उपभोग-आधारित क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया.

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में, टाटा स्टील के शेयरों में 5.90 प्रतिशत की सबसे अधिक तेजी आई.

गुरुग्राम में कार्ल्स बर्ग का पहला वैश्विक आईटी केंद्र

नयी दिल्ली, 3 सितंबर (वार्ता) दुनिया की अग्रणी बीयर निर्माता कंपनी कार्ल्सबर्ग ग्रुप ने बुधवार को हरियाणा के गुरुग्राम में अपना पहला सूचना प्रौद्योगिकी वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) शुरू किया है. यह केंद्र भारत में कंपनी की पहली इकाई है.यह नया केंद्र दुनिया भर में कार्ल्सबर्ग की कंपनियों के लिए आईटी सेवाएँ, बुनियादी ढाँचे का संचालन और एप्लीकेशन सपोर्ट प्रदान करेगा. इस जीसीसी की स्थापना के लिए कंपनी ने वैश्विक आईटी सेवा और कंसल्टेंसी कंपनी जीएसपीएएनएन के साथ साझेदारी की है.कार्ल्सबर्ग ग्रुप की सीआईओ एस्थर वू ने इस अवसर पर कहा, हमारी दीर्घकालिक विकास रणनीति के लिए जरूरी है कि हम अपने हर काम में गति, लचीलापन, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को शामिल करें. गुरुग्राम में हमारे पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का शुभारंभ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.उन्होंने यह भी बताया कि यह केंद्र लचीलापन और स्थिरता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे वह 150 से अधिक वैश्विक बाजारों में अपने ग्राहकों, साझेदारों और कर्मचारियों को बेहतर सेवा दे पाएगी.

नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (जलप्रदाय)
संधारण खंड क्रमांक-2, नर्मदा परियोजना मूसाखेड़ी, इन्दौर
E-mail: ee2_narmada@rediffmail.com, Ph.: 0731-2712846

निविदा सूचना क्रमांक: 31/2025-26/नर्मदा.परि/न.पा.नि. **निविदा आमंत्रण सूचना** इन्दौर, दिनांक: 01.09.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD
01 प्रथम आमंत्रण	जोन क्रमांक-14 वार्ड क्रमांक-82 अंतर्गत सुदामा नगर मे मकान नं. 2327 के सामने तथा श्रीराम नगर गली नं. 4 मे वाल्व चेम्बरो का निर्माण कार्य तथा रहवासियों के निजी नल कनेक्शन करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री शेड्युल अनुसार)	1) 15 दिवस 2) ₹82,555/-	1) ₹1,651/- 2) ₹1,000/-
02 प्रथम आमंत्रण	जोन क्रमांक-14 वार्ड क्रमांक-82 अंतर्गत शांतिनाथपुरी बगीचे के कुँए मे मोटर पम्प डालने तथा हवाबंगला एवं शंकराचार्य गेट पर स्थित बोरिंग से हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री शेड्युल अनुसार)	1) 15 दिवस 2) ₹84,282/-	1) ₹1,686/- 2) ₹1,000/-
03 प्रथम आमंत्रण	जोन क्रमांक-11 वार्डक्रमांक-54 अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग पुल के बंगला नं. सी-8 मे नल कनेक्शन करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री शेड्युल अनुसार)	1) 15 दिवस 2) ₹60,688/-	1) ₹1,214/- 2) ₹1,000/-
04 प्रथम आमंत्रण	जोन क्रमांक-11 वार्डक्रमांक-54 अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग पुल के बंगला नं. सी-1 मे नल कनेक्शन करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री शेड्युल अनुसार)	1) 15 दिवस 2) ₹79,748/-	1) ₹1,595/- 2) ₹1,000/-
05 प्रथम आमंत्रण	नर्मदा परियोजना मूसाखेडी स्थित प्रयोगशाला में परीक्षण कार्य हेतु आवश्यक सर्टीफाईड रेफरेन्स मटेरियल क्रय करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री शेड्युल अनुसार)	1) 15 दिवस 2) ₹92,080/-	1) ₹1,842/- 2) ₹1,000/-

टिप -
- आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. द्वारा जारी सर्क्युलर क्रमाकं या.प्रा./07/2013/3616 भोपाल दिनांक 22/5/2013 अनुसार निविदा स्वीकृत होने के उपरांत न्युनतम निविदादाता को अनुबंध के साथ 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।
- ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन की जानकारी निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

टिप्पणी -
- निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक 16.09.2025 सांय 05.30 बजे तक स्थान-कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, (जलप्रदाय) संधारण खंड क्रमांक-2 नर्मदा परियोजना मूसाखेडी इन्दौर।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक 17.09.2025 सांय 05.30 बजे तक स्थान-कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, (जलप्रदाय) संधारण खंड क्रमांक-2 नर्मदा परियोजना मूसाखेडी इन्दौर।
- निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक 18.09.2025 दोपहर 03.00 बजे के पश्चात स्थान-कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, (जलप्रदाय) संधारण खंड क्रमांक-2 नर्मदा परियोजना मूसाखेडी इन्दौर के कक्ष में।
- निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में मूल एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना होगा।
- यह संक्षिप्त निविदा है, निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारिया अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
- ई.पी.एफ. कार्यालय में पंजीयन हेतु आवश्यक आर्हता रखने वाली फर्म/ठेकेदार का पंजीयन होना आवश्यक है। डाक (पोस्ट) के माध्यम से निविदा विलंब से प्राप्त होने पर विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी एवं निर्धारित दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री
(जलप्रदाय)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, सेंधवा, जिला -बड़वानी (म.प्र.)

क्रमाक/2807/2025 सेंधवा, दिनांक 02.09.2025

//सार्वजनिक सूचना//

!! मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियमए 2021 के नियम 23 (6) व (7) एवं 24(2)के अंतर्गत !!

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 29 प्रकाशन दिनांक 13.01.2022 से मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के प्रावधानों के तहत दिनांक 31.12.2016 के पूर्व अस्तित्व में आयी अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए नगर पालिका परिषद, सेंधवा सीमा क्षेत्र में स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में से जिन कॉलोनियों में नियम 23(3)के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया एवं नियम 23(4) के प्रावधान अंतर्गत निगम सर्वेयर मेसर्स गंगराडे एसोसिएट्स द्वारा तैयार किये गये ले-आऊट (अभिन्यास) के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया है।

उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के उपरांत प्राप्त दावे.आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत अभिन्यास को अंतिम रूप देते हुए विकास शुल्क का निर्धारण किया गया है, जिसका अवलोकन नगर पालिका परिषद्ए सेंधवा में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

निम्नलिखित कॉलोनियों के भूखण्ड/भवनधारियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित कॉलोनी के सम्मुख दर्शायी गयी विकास शुल्क की राशि अनुसार पंजीकृत भूखण्ड के कुल क्षेत्रफ्ल हेतु आवश्यक विकास शुल्क राशि को अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के भीतर जमा कराना अनिवार्य है :-

क्र.	कालोनी का नाम	कालोनाईजर का नाम	सर्वे नंबर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राक्कलन अनुसार विकास शुल्क रु. (प्रति वर्ग मीटर)	भूखंडधारियों हेतु प्रभावशील शुल्क रुपए (प्रति वर्गमीटर)	(प्रति वर्ग फीट रु.)
1.	ग्रीन सिटी	इमरान युसूफ खत्री	19, 20/4, 17/1 17/2	1.70	1350	675	63
2.	भारत नगर (येलो सिटी)	असफाक खत्री	193/5, 193/8, 193/9, 93/10	2.86	850	425	40
3.	येलो सिटी	असफाक खत्री एवं अन्य	20/15/1	1.356	780	390	36
4.	बिटिया नगर	राजेन्द्र रेवाचंद मोतियानी	58/1/1, 58/1 /2	2.15	662	331	31
5.	छत्रपति शिवजी गृह निर्माण सहकारी संस्था	छत्रपति शिवजी गृह निर्माण सह. संस्था	94/4/1	0.95	920	460	43
6.	निवाली रोड गोल्ड शाइन के पास	राजेंदर पिता रामेश्वर गोयल	94/19, 94/38	0.83	416	208	19
7.	मदीनानगर कालेज के पीछे रामरहीमकालोनी)	विनोद पिता ओंकारलाल शर्मा	193	0.40	1480	740	69
8.	पटेल कालोनी एबी रोड	कय्यूम पटेल पिता अब्दुल हमीद एवं अन्य	19/2, 50, 54,55	12.38	612	306	28

उपरोक्तानुसार अनाधिकृत कॉलोनियों के समस्त हितधारक एवं भवनस्वामी/भूखण्डधारकों को सूचित किया जाता है, कि विकास शुल्क जमा कराने के उपरांत ही उपरोक्त अनाधिकृत कॉलोनियों के भूखण्ड/भवन पर नागरिक अद्योसंरचना प्राप्त किये जाने हेतु पात्र होगे एवं नियमानुसार भवन अनुज्ञा/जल संयोजन/विद्युत संयोजन की स्वीकृति नगर पालिका परिषद् सेंधवा से प्राप्त करने हेतु पात्र होगे।

अत: समस्त भवन/भूखण्डस्वामी अपने भूखण्ड क्षेत्रफ्ल के विकास शुल्क की राशि नगर पालिका परिषद् सेंधवा में शीघ्र जमा कराकर अपने भूखण्ड/भवन पर भवन अनुज्ञा/जल संयोजन/विद्युत संयोजन प्राप्त करे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, सेंधवा